

Class - B.A - I (Pol. Science Honours)

Paper - I

Name of the Guest Teacher - Khushi Kumari, V.S.J College, Rajnagar,
Mathubani, Inmu

Topic - अधिकृतता (Legitimacy)

Lecture - 2

अधिकृतता के प्रकार :-

राबर्ट डहल, मैक्स वेबर जैसे विद्वानों ने अधिकृतता के प्रकार बताये हैं।

मैक्स वेबर ने अधिकृतता के तीन प्रकार बताये हैं -

- ① परम्परागत अधिकृतता, ② कानूनी अधिकृतता और ③ करिश्मात्मक अधिकृतता।

स्टर्नबर्जर ने अधिकृतता के दो प्रकार बताये हैं -

① देवीय अधिकृतता - यह प्राचीन मिस्र के देवदूत सम्राटों, ईसाई जगत में ईसा के 'ईश्वर पुत्र' की, मिस्र और सूसा की प्रेरणाएँ, आदि में देखने को मिली हैं।

② नागरिक अधिकृतता - इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जबकि शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी इकाइयों के बीच लक्ष्य है। समझौते के रूप में होता है। अस्तू का पोलिस, मध्यकाल के आर्थिक संघ और आधुनिक व्यवस्थाएँ, आदि

इसी श्रेणी में आती हैं।

राबर्ट डबल ने औचित्यपूर्णता को सरकारों के वर्गीकरण का व्यापक आधार बताया है। वह उच्चस्तरीय औचित्यपूर्णता रखने वाली सरकारों को एक वर्ग में रखता है और उन्हें 'औचित्यपूर्ण व्यवस्थाएँ' कहता है तथा दूसरे वर्ग में 'दुर्बल औचित्यपूर्णता वाली सरकारों' को रखता है जो परम्परागत शब्दों में अत्याचार तन्त्रों की श्रेणी में

औचित्यपूर्णता का संकट :-

औचित्यपूर्णता का संकट का अर्थ यह है कि व्यवहार में अनेक बार व्यवस्था की वैधता या औचित्यपूर्णता के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो इसकी वैधता बनी रहती है; लेकिन यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढाल पाती, तो इसकी वैधता को आधार पहुँचता है। जो स्थितियाँ राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा करती हैं, उन्हें ही कुछ प्रमुख का उल्लेख निम्नलिखित है -

① नवीन अवस्थाएँ — समय की गति के साथ नवीन विचार, नवीन धारणाएँ और नवीन ढाँचे उत्पन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार की नवीन अवस्थाएँ जन्म लेती हैं। परिवर्तित परिस्थितियों और इन नवीन अवस्थाओं के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आपको इन परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है, तब तो इसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएँ समय की माँग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है।

② कुछ परम्परागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट - वैधता का संकट इस समय भी खड़ा हो जाता है जब नवीन अवस्थाओं के कारण प्रमुख परम्परागत संस्थाओं या समूहों की स्थिति के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तब इन संस्थाओं और समूहों द्वारा अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ न केवल नवीन अवस्थाओं, वरन् इन नवीन अवस्थाओं को स्वीकार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि परम्परागत तत्व पर्याप्त शक्तिशाली हों तो सामस्त राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है।

③ व्यवस्था के प्रति अत्यधिक आशाएँ - आकांक्षाएँ — जब परिवर्तित परिस्थितियों के कारण नवीन राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएँ अस्तित्व में आती हैं तब अनेक बार

सामान्य जन इस व्यवस्था से बहुत अधिक आशाएँ - आकांक्षाएँ रखने लगते हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जनसामान्य की इन आशाओं - आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती, तब इसकी वैधता के लिए संकर बढ़ा से सकता है।

(4) प्रभावशालिता का अभाव - इन सबसे अधिक आधिकारिक राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकर उस समय उत्पन्न होता है, जब राजनीति अपनी प्रभावशालिता खो दे या उसकी प्रभावशालिता में भारी कमी आ जाय। राज्य का कार्य अपने नागरिकों की रक्षा तथा हित धारि तथा दुष्टों का दमन होता है और यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था यह कार्य नहीं कर पाती, तो इसका वैधताका दावा माज कागजी बनकर रह जाता है।

वैधता की प्राप्त करने एवं बनाये रखने के उपाय :-

(1) नवीन परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के द्वारा वैधता को स्थिर बनाये रखा जा सकता है।

(2) प्रत्येक देश की स्थापित परम्पराओं की रक्षा करके वैधता को बनाये रखा जा सकता है।

③ जिस विधान के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के राजनीतिक शक्ति ग्रहण की है, उस विधि-विधान तथा वैधानिक व्यवस्था की रक्षा करके वैधता को बनाये रखा जा सकता है।

④ व्यवस्था की वैधता को बनाये रखने में 'परमकारिक' नैतिकता का भी योगदान होता है।

⑤ आधुनिक युग में किसी व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का बहुत प्रमुख साधन उसका प्रभावी होना है।